

R.B.E.No.25/2020

PCPO's Sl.No.36/2020

No. E/227 (D)/O/ECR/HJP

Dated:-29.04.2020

1. CAO (Con.)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे. हाजीपुर।
3. DKM/ पू.म.रे./मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पू.म.रे./हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/ पीडी/मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर/हरनौत।
7. Sr.DPO/ पू.म.रे./मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पू.म.रे./हाजीपुर।

**विषय:** Inclusion of Officers promoted on the basis of Sports achievements in Trial committee.

**संदर्भ :** Railway's Boards Lt. No. 2020/E(Sports)4(1)/1 Dated: 24.02.2020.

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.



(सौरभ सावर्ण) 29.4.20

वकाधि/ई.एस.एम  
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनाार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पू.म.रे./हाजीपुर।
2. महासचिव/एस0.सी0./एस0.टी0./एशोसिएशन/पू.म.रे./हाजीपुर।
3. सकाधि (एम.पी.पी.), पू.म.रे./हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पू.म.रे./हाजीपुर।

03/02/20  
1

महाप्रबंधक (प्रशासन) कार्यालय  
पूर्व-मध्य रेल, हाजीपुर

05 MAR 2020

रेलवे बोर्ड का पत्र प्राप्ति सं.

RBB No. 25/2020

Clarification/Corrigendum No. 110

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, dated 24.02.2020

No. 2020/E(Sports)/4(1)/1

The General Managers (P),  
All Zonal Railways including  
CLW, DLW, ICF, RCF, RWF, Metro Railway/Kolkata,  
The CAO(R), DMW/Patiala,  
The DG, RDSO/Lucknow.

ECR

02523  
05 MAR 2020

Sub: Inclusion of Officers promoted on the basis of Sports achievements in Trial Committee.

Ref: 1. Board's letter No. 2010/E(Sports)/4(1)/1(Policy) dt. 31.12.2010.  
2. Board's letter No. 2011/E(Sports)/4(1)/1/Policy clarifications dt. 27.01.2011.

Routing

Attention is invited to para 8.1.6, 8.1.7, 8.2.11.1 & 8.2.11.2 of Board's letter dated 31.12.2010 as amended by Board's letter dated 27.01.2011, laying down the constitution of Trial Committees for recruitment of sportspersons through Talent Scouting and through Open Advertisement.

The matter has been reviewed by the Board and the following changes have been made:

Para No.	Existing para	Revised as
8.1.6(iv) & 8.2.11.1(iii)	Assistant Sports Officer/Sports officer (as per clarification/corrigendum No. 4 dated 27.01.2011)	Assistant Sports Officer/Sports Officer/Officers who have been promoted on the basis of sports achievement.
8.1.7 & 8.2.11.2	Assistant Sports officer/Sports officer in the Trial committee should be from the approved panel of Railway Board. (as per policy dated 31.12.2010)	Assistant Sports officer/Sports officer/officers who have been promoted on the basis of sports achievement in the Trial committee should be from the approved panel of Railway Board/ Railway Board's order/ promoted as per Railway Board's policy.

SPO/R.  
Sudu  
19/3

This is issued with the approval of Board (MS).

*(Signature)*  
(Bhaskar Roy Choudhury)  
Dy. Director /Estt. (Sports)  
Railway Board

No. 2020/E(Sports)/4(1)/1


New Delhi, dated 24.02.2020

1. The General Secretary, AIRF, 4 State Entry Road, New Delhi.
2. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi.
3. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employee Association, 7-GF, Ground Floor, Railway Bhavan, New Delhi.

*(Signatures)*  
ESM

Cont./-

4. The General Secretary, All India OBC Railway Employees' Association, Room No.48, Rail Bhavan, New Delhi.

  
for Secretary  
Railway Board

Copy to:

1. The Hony. General Secretaries, Sports Associations of all Zonal Railways/Production Units.
2. PPSs/PSs to CRB; MS; AM(S); Adv.(IR); ED/E(N); ED(E); ED/E(Res.); ED/F(E); EDE(GC); D/E(N); DF(E); JD/E(N); JD/F(E); JD/E(Rep.)-I&II; JD/E(W); DD/E(N)-I&II; DD/E(R)-I&II; DDE(GP); DD/F(E)-I,II&III and E(Rep.)-I,II&III; E(SCT)-I&II; E(NG)I&II; E(GP); F(E)-I,II,III & F/E(Spl.) Branches in Boards Office.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं: 2020/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1

नई दिल्ली, दिनांक 24.02.2020

महाप्रबंधक (कार्मिक),  
सभी क्षेत्रीय रेल एवं

चित्तोजन रेल इंजन कारखाना, डीजल रेल इंजन कारखाना, सवारी डिब्बा कारखाना, रेल कोच फैक्ट्री, रेल  
पहिया कारखाना, मेट्रो रेलवे/कोलकाता सहित

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर), डीजल आधुनिकीकरण कारखाना/पटियाला,  
महानिदेशक, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन/लखनऊ

विषय: खेल-कूद की उपलब्धियों के आधार पर पदोन्नत हुए अधिकारियों को ट्रायल समिति में शामिल करना।

- संदर्भ: 1. बोर्ड का दिनांक 31.12.2010 का पत्र सं. 2010/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1(पॉलिसी)।  
2. बोर्ड का दिनांक 27.01.2011 का पत्र सं. 2011/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1/पॉलिसी स्पष्टीकरण।

आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 31.12.2010 के पत्र के पैरा 8.1.6, 8.1.7, 8.2.11.1 एवं 8.2.11.2, बोर्ड के दिनांक 27.01.2011 के पत्र के तहत यथा आशोधित की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें टैलेंट स्काउटिंग और खुले बाजार के माध्यम से खिलाड़ियों की भर्ती के लिए ट्रायल समितियों का गठन करने का उल्लेख किया गया था।

बोर्ड द्वारा इस मामले की समीक्षा की गई है और इसमें निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:

पैरा सं.	मौजूदा पैरा	निम्नानुसार संशोधित
8.1.6(iv) एवं 8.2.11.1(iii)	सहायक खेलकूद अधिकारी/ खेलकूद अधिकारी (दिनांक 27.01.2011 के स्पष्टीकरण/ शुद्धिपत्र सं. 4 के अनुसार)	सहायक खेलकूद अधिकारी/ खेलकूद अधिकारी/अधिकारियों, जिन्हें खेलकूद में उनकी उपलब्धियों के आधार पर पदोन्नत किया गया है।
8.1.7 एवं 8.2.11.2	ट्रायल समिति के सहायक खेलकूद अधिकारी/ खेलकूद अधिकारी रेलवे बोर्ड के अनुमोदित पैनल से होने चाहिए। (दिनांक 31.12.2010 की नीति के अनुसार)।	ट्रायल समिति के सहायक खेलकूद अधिकारी/ खेलकूद अधिकारी/अधिकारियों, जिन्हें खेलकूद में उनकी उपलब्धियों के आधार पर पदोन्नत किया गया है, वे रेलवे बोर्ड के अनुमोदित पैनल/रेलवे बोर्ड के आदेश/रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार पदोन्नत होने चाहिए।

इसे बोर्ड (सदस्य कार्मिक) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(भास्कर राय चौधरी)  
उप निदेशक/स्थापना (खेलकूद)  
रेलवे बोर्ड

सं. 2020/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1

नई दिल्ली, दिनांक 24.02.2020

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
3. जनरल सेक्रेटरी, अखिल भारतीय एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी एसोशिएशन, 7-जीएफ, ग्राउंड फ्लोर, रेल भवन, नई दिल्ली।
4. जनरल सेक्रेटरी, अखिल भारतीय ओबीसी रेलवे कर्मचारी एसोशिएशन, कमरा नं.48, रेल भवन, नई दिल्ली।

नवीन   
कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

R  
5/2